कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी जिला श्योपुर, म.प्र.

कमांक/एस.डब्ल्यू/2020/3207 श्योपुर, दिनांक 28.03.2020

आदेश

जिले में रवी फसल गेहूँ पककर तैयार हो चुकी है एवं कटाई का कार्य आने वाले एक सप्ताह में वृहद रुप से संचालित होना है। जिले में गेहूँ कटाई का समस्त कार्य कम्पाईन हार्वेस्टर द्वारा किया जाता है। चूकिं नोवेल कोरोना वायरस के संकमण से रोकथाम को दृष्टिगत रखते हुऐ जिला स्तर से दण्ड प्रकिया संहिता 1973 की धारा 144 से जारी आदेश कमांक /एस.डब्ल्यू/2020/3163 श्योपुर दिनांक 25.03.2020 के अंतर्गत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किये गये है।

इस संबंध में संचालनालय कृषि अभियांत्रिकी म.प्र. भोपाल के पत्र कमांक तक/विविध/2019–20/क्यू/842 भोपाल दिनांक 24.03.2020 द्वारा जारी निर्देशानुसार

1. श्योपुर जिले में कम्बाईन हार्वेस्टर स्ट्रा रीपर तथा थ्रेशर आदि मशीनो के परिवहन तथा संचालन को प्रतिबंध से मुक्त रखा जाता है।
2. प्रत्येक मशीन के साथ उसके संचालन हेतु अधिकतम 05 व्यक्तियों को भी छूट प्रदाय की जाती है ऐसे सभी व्यक्ति भारत सरकार/प्रदेश सरकार एवं इस कार्यालय द्वारा कोरोना वायरस को लेकर जारी दिशा निर्देशो का पालन करेंगे।
3. साथ ही ट्रेक्टर हार्वेस्टर स्ट्रा रीपर तथा थ्रेशर आदि मशीनों के खराब होने की स्थिति में उसके स्पेयर पार्ट आदि की आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुऐ इससे संबंधित पार्टस विकेताओ की दुकानों को प्रतिदिन प्रातः 07.00 बजे से दोपहर 12.00 बजे तक खोले जाने हेतु प्रतिबंध से छूट रहेगी। दुकानदार यह सुनिश्चित करेगा की उसके दुकान के आगे भीड ना लगे तथा सोशल डिस्टेंसिंग आदि का पालन किया जावे।

(प्रतिभा पाल)
जिला मजिस्ट्रेट
जिला श्योपुर (म.प्र.)

पृ.कमांक/एस.डब्ल्यू/2020/3208 श्योपुर, दिनांक 28.03.2020

प्रतिलिपिः–

1. आयुक्त चंबल संभाग मुरैना।
2. पुलिस महानिरीक्षक, चंबल जोन मुरैना।
3. पुलिस अधीक्षक, जिला श्योपुर।
4. संचालक, कृषि अभियांत्रिकी ऑफिस कॉम्पलेक्स बी ब्लॉक गौतम नगर भोपाल।
5. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला श्योपुर।
6. अनुविभागीय अधिकारी राजस्व श्योपुर/ विजयपुर/कराहल।
7. अनुविभागीय अधिकारी पुलिस श्योपुर/विजयपुर/बड़ौदा।
8. उप संचालक कृषि विकास एवं किसान कल्याण जिला श्योपुर।
9. तहसीलदार तहसील श्योपुर/विजयपुर/कराहल/वीरपुर/बड़ौदा।

जिला मजिस्ट्रेट
जिला श्योपुर (म.प्र.)